छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर सेक्टर 21
मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था के लिए उपार्जन एजेंसी के चयन हेतु ई–निविदा

सी.बी.डी. कमर्शियल कॉम्पलेक्स, टॉवर ''सी'', 6th फ्लोर,
सेक्टर 21, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग), 492002

अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था के लिए उपार्जन एजेंसी के चयन हेतु ई–निविदा

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार का नाम,पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	1
02	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ट –1	2 से 9
03	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ट –2	10 से 11
04	हमाली कार्य हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय बीड हेतु परिशिष्ट –3	12
05	निविदाकर्त्ता से संविदा का प्रारूप परिशिष्ट –4	13 से 15
06	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –5	16 से 21
07	मापदण्ड परिशिष्ट – 6	22 से 23

1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 अरहर, उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था के लिए उपार्जन एजेंसी के चयन हेतु ई–निविदा

1.	निविदाकर्ता का नाम –श्री/सुश्री	.....
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	.....
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	....
4.	निविदा फार्म का मूल्य –	5000.00 रूपये (कर सहित) (रूपये पांच हजार रूपये मात्र)
5.	निविदा फार्म के मूल्य भुगतान का विवरण	DD/ B.G NO.....दिनांक..... बैक का नाम.....

छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2022–23 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	02-09-2022	05.00 P.M
Bid Due Date	22-09-2022	05.00 P.M
Bid Open Date from	23-09-2022	12.00 P.M

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाए गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा दस्तावेज दिनांक 22.09.2022 को शाम 05.00 PM बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करनमें कठिनाई ना हो। अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नही हाने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की राशि रू 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी. (डिमांड ड्रॉफ्ट) बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
4. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंटवेबासाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिष्चित हो।
5. यदि विपणन संघ द्वारा आमंत्रित निविदा को अपरिहार्य कारणो से निरस्त किया जाता है तो निविदा फार्म की राषि वापसी योग्य नही होगी।
6. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक **1** से **23** तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

"परिशिष्ट–1"

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा 23 मंडी/उपार्जन केन्द्रों में अरहर, उड़द एवं मूंग की खरीदी की व्यवस्था हेतु ई–निविदा के निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे:–

(अ) मण्डी/उपार्जन केन्द्र पर हमाली कार्य एवं अन्य व्यवस्था के लिए उपार्जन एजेंसी के चयन हेतु

विपणन संघ द्वारा ऑनलाईन हमाली ई–निविदा जारी की गई है। जिसमें एक तकनीकी बीड (निविदा दस्तावेज के भाग "क") एवं दूसरा वित्तीय बीड (निविदा दस्तावेज के भाग "ख") अलग–अलग है, जिसमें उल्लेखित वांछित दस्तावेजों को ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

2. निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट–2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की स्वः प्रमाणित /नोटरी प्रमाणित से प्रमाणित प्रति स्केन कर ऑनलाईन संलग्न करें, यह सभी दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।

3. निविदाकर्ता अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बीड के साथ संलग्न करें :–

   1. निर्धारित अमानत राषि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के Demand Draft/ Bank Guarantee की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करें। डी.डी./बी.जी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा ।
   2. फर्म/व्यक्ति/भागीदार फर्म द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे।
   3. फर्म/व्यक्ति/भागीदार का भविष्य निधि कोड़ नं. एवं विगत 03 वर्षो में से किसी भी 01 वर्षो का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जमा रिटर्न की छायाप्रति।
   4. फर्म/व्यक्ति/भागीदार का आयकर स्थाई लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड) एवं व्यवसाय संबंधित दो वित्तीय वर्षो 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की आय कर विवरणी।
   5. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   6. फर्म/व्यक्ति/भागीदार को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स, न्यूनतम 05 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं न्यूनतम 02 प्रबंधक एवं क्वाटिली निरीक्षक के सूचीबद्ध किये गये हमालों, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रबंधक एवं क्वाटिली निरीक्षक के भविष्य निधि खाता नम्बर, ई.एस.आई.सी तथा ग्रुप इंशोरेंस सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   7. फर्म/व्यक्ति/भागीदार का विगत 03 वर्ष (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) में न्यूनतम 01 करोड़ रूपये का औसत वार्षिक टर्नओवर का सी.ए. द्वारा सर्टिफाइड प्रमाण पत्र।
   8. फर्म/व्यक्ति/भागीदार द्वारा शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों एवं कर्मचारीयों नियोजन हेतु न्यूनतम 50 लाख रूपये का एकल क्रय आदेश की छायाप्रति।
   9. वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4. फर्म/व्यक्ति/भागीदार को श्रम अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र टेन्डर प्राप्ति के पश्चात 7 दिवस में प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।

5. कार्य की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से 01 वर्ष तक होगी। आवश्यकता पड़ने पर आपसी सहमति से तीन माह तक की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

6. निविदाकर्ता के पास वैध भविष्यनिधि कोड होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से प्रत्येक माह मासिक बिल बनाकर आगामी माह के 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। बिल के साथ निविदाकर्ता द्वारा अपने भविष्य निधि कोड में भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये उसी माह के मासिक विवरणी की पावतीयुक्त कापी एवं हमालवार भविष्य निधि की जानकारी संलग्न करने पर ही बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्षान्त पर वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये पावतीयुक्त कापी प्रस्तुत करने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि कोड नं. नहीं है तो निविदा की शर्त कं. 9 की शर्तें प्रभावशील होगी।

7. निविदाकर्ता को कार्य कराने हेतु श्रमिक की व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी की आवश्यकतानुसार प्रतिदिन समयावधि में करनी होगी तथा उनके समस्त भुगतान की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। जिला विपणन अधिकारी अनुबंधित दरों से ही भुगतान करेंगे।

8. निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम नियमों एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियमों का पालन करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

9. निविदाकार के पास न्यूनतम 20 हमालों ,न्यूनतम 05 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं न्यूनतम 02 प्रबंधक एवं क्वाटिली निरीक्षक का भविष्य निधि कोड नं. होना अनिवार्य है, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उक्त 20 हमालों से अधिक हमालों के लिये भविष्य निधि कोड नं. नहीं होने पर बिल से 24 प्रतिशत भविष्य निधि +1.61 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय = 25.61 प्रतिशत राशि काटकर पूर्व में ही भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हमाली ठेकेदारों हेतु आबंटित कोड नं. में नियत अवधि (आगामी माह के 15 तारीख तक) जमा की जायेगी। ठेकेदार के पास ऐसे हमालों का कोड नं. नहीं होने तक उन्हें प्रत्येक माह बिल बनाकर प्रस्तुत करना होगा और बिल स्वीकृति के पूर्व हमालवार भविष्य निधि विवरण प्रस्तुत करने पर बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा।

10. नियमानुसार प्रचलित/लागू दर अनुसार निविदाकार के बिल से कर की कटौती की जावेगी।

11. अनलोडिंग कर स्टेकिंग तथा डीस्टेकिंग कर वाहन में बोरे की लोडिंग की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल निविदाकार की होगी। उक्त हेतु केन्द्रों में पर्याप्त हमालों की उपलब्धता सफल निविदाकार सुनिश्चित करेगा।

12. आवश्यकतानुसार सफल निविदाकार को मंडी/उपार्जन केन्द्र में बोरों के अनलोडिंग एवं स्टेकिंग का काम किया जाना होगा। इस कार्य में स्टेक निर्माण हेतु एच.डी.पी.ई. बैग्स में भूसा भराई, सिलाई, स्टेक बिछाई, ढुलाई एवं थप्पी लगाई का कार्य अंतर्निहित है तथा अन्य हमाली कार्य अंतर्निहित है जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

13. सफल निविदाकार को मंडी/उपार्जन केन्द्र वाहन में डी–स्टेकिंग कर के बोरे की लोडिंग करना होगा।

14. सफल निविदाकार को जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार वाहनों में चिन्हाकिंत बोरों की लोडिंग करना होगा।

15. निविदाकार को निविदा के साथ एक **मंडी/उपार्जन केन्द्र** रूपये 10,00,000.00 (दस लाख रूपये मात्र) अमानत राशि, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले D.D/ B.G के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं डी.डी./बी.जी की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा तथा डी.डी./बी.जी की छायाप्रति एवं **जिस मंडी/उपार्जन केन्द्र लिए अमानत राशि जमा की गई है, उसका विवरण निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।** कार्य सफलतापूर्वक किये जाने के उपरांत यह राषि वापसी योग्य होगी।

16. सफल निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 10,00,000.00 (दस लाख रूपये मात्र) छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से देय की अमानत राशि के अतिरिक्त 10,00,000.00 (दस लाख रूपये) की बैंक गारंटी/एफडीआर. अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि बतौर जमा कराना अनिवार्य होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

17. संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दर्शित कार्य के अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी/समिति/उपार्जन केन्द्र प्रबंधक द्वारा निर्देशित कार्य निविदाकर्ता को सम्पन्न कराना होगा, जिसकी दरें जो निविदा में स्वीकृत दर से अधिक न हो जिला विपणन अधिकारी एवं निविदाकर्ता के द्वारा आपसी सहमति पर तय की जावेगी।

18. निविदाकर्ता द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर संघ को होने वाली हानि के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य स्रोतों से कराया जाकर जो हानि/पेनाल्टी, (जीएसटी सहित) की राशि होगी वह निविदाकर्ता के देयकों/अमानत राशि/सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।

19. निविदाकार को अपने हमालों की बीमा हेतु कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत बीमा कर, निविदा स्वीकृत होने के पश्चात या कार्य आरंभ करने के पूर्व जिला विपणन अधिकारी, मिल के प्रबंधक, समिति/उपार्जन केन्द्र या भंडारण केन्द्र के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब तक निविदाकार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की बीमा की प्रति प्रस्तुत नहीं करेगा, उसे कार्य आरंभ नहीं करने दिया जायेगा।

राज्य सरकार, द्वारा कृषि उपज मंडी, समितियों के मंडी, प्रांगण/उप–मंडी प्रांगण में तुलैयों तथा हमालो द्वारा किये जाने वाले कार्यो के लिए कार्यवार आगामी आदेष तक निम्नानुसार न्यूनतम परिश्रमिक दर निर्धारित की गई हैः–

स.क्र	कार्य	दर प्रति क्विंटल (रू.मे.)
(1)	(2)	(3)
1	अनलोड़िंग	2.75
2	ढेर लगाना	1.40
3	बोरा भराई	2.60
4	तौल	2.60
5	सिलाई	1.40
6	लेबलिंग	1.25
7	लोडिंग	4.80
8	स्टेकिंग लेबलिंग के साथ	3.00

उपरोक्त दर अनुसार किये गये कार्य के आधार पर सफल निविदाकार को भुगतान किया जावेगा तथा आवश्यकता अनुसार हमालो की व्यवस्था की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।

20. शासन द्वारा 23 उपार्जन केन्द्रो को चिन्हांकित किया गया है आवष्यकता पड़ने पर निर्देशानुसार सख्या बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है।

21. हमालों, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रबंधक एवं क्वाटिली निरीक्षक का भुगतान उपस्थिति पंजी के आधार पर जिले द्वारा सत्यापन उपरांत संबंधित जिले के कलेक्टर दर के अनुसार सफल निविदाकार को किया जावेगा।

22. उच्च कुशव, कुशल, अर्द्धकुशल व अकुशल श्रमिको की दर संबंधित जिलें के कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. जो शासन द्वारा समय समय पर प्रचलित दर से देय होगा। जिसकी प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ में की जावेगी। अन्य वैधानिक देयताओं का संचालन व्यय नियत किया गया है, इनमें किसी तरह का संशोधन केन्द्र/राज्य शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगा।

समस्त वैधानिक देयताओं यथा जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, श्रमिक अनुज्ञप्ति, श्रमिक बीमा आदि की भुगतान की जवाबदेही निविदाकर्ता की होगी।

23. **दण्डांत्मक कार्यवाही हेतु शर्ते :–**

- यदि चयनित एजेंसी द्वारा उपार्जित अरहर उड़द एवं मूंग के स्कंध में सूखत, खराबी अथवा गुणवत्ता में कमी तथा चोरी होने पर उक्त मात्रा के मूल्य की प्रतिपूर्ति देयक/अमानत राशि/सुरक्षा निधि से (जीएसटी सहित) की जावेगी।
- यदि सफल निविदाकार द्वारा एल–1 दर पर कार्य करने पर असहमति दर्ज की जाती है तो उक्त निविदाकार की अमानत राशि/सुरक्षा निधि राजसात कर उक्त फर्म को आगामी 03 वर्षो हेतु कालीसूची में दर्ज की जावेगी। इस परिस्थिति में यदि उक्त कार्य अन्य निविदाकार से कराया जाता है तो रिस्क एण्ड कॉस्ट के आधार पर विपणन संघ को पड़ने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति सफल निविदाकार के देयक/अमानत राशि/सुरक्षा निधि तथा अन्य माध्यम से (जीएसटी सहित) की जावेगी।
- निविदाकार के दिवालिया होने अथवा अनुबंध के किसी भी प्रावधान या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तो के पालन करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध की शेष समयावधि में रिस्क एण्ड कॉस्ट के तहत निविदाकरार से शेष अनुबंध अवधि में विपणन संघ को हुई हानि की वसूली (जीएसटी सहित) निविदाकार से की जावेगी।
- सफल निविदाकार द्वारा समय–समय पर जारी उपार्जन से संबंधित शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं नीति के अनुसार कार्य न करने पर अथवा लापरवाही पूर्वक कार्य के कारण कार्य बाधित होने पर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत अनुबंध समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी अथवा प्रस्तुत देयक में से अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि (जीएसटी सहित) की कटौती की जावेगी।

आई.टी. अधोसंरचना (कम्युटर, प्रिंटर, यूपीएस, मोबाईल टेबलेट, इंटरनेट कनेक्शन, फर्निचर, इलेक्ट्रनिक तौल कांटा मॉईश्चर मीटर, आदि) की लीज के आधार पर व्यवस्था

1. सफल निविदाकार को लीज आधार पर प्रत्येक मंडी/उपार्जन केन्द्र को 02 नग कम्प्यूटर, 02 नग प्रिंटर, 02 नग यूपीएस, 02 नग मोबाईल टेबलेट, 5 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्शन, 01 फर्नीचर सेट, 02 नग इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, 01 नग मॉईश्चर मीटर आदि उपकरण को 04 से 06 माह तक मंडी/उपार्जन केन्द्रों में अरहर, उड़द एवं मूंग की खरीदी व्यवस्था हेतु प्रदाय करना होगा।
2. प्रत्येक मंडी/उपार्जन केन्द में मानव संसााधन यथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (02 व्यक्ति), गुणवत्ता परीक्षण/सर्वेयर (01 व्यक्ति) तथा प्रबंधक (01 व्यक्ति) निविदाकार को प्रदाय करना होगा।

क्रमांक	कम्प्यूटर सामग्री/कार्य का विवरण	नग में
1	कम्प्यूटर (इंटेल कोर आई–5 कॉन्फिग्रेसन, 21 इंच)	02
2	प्रिंटर (ब्लैक एण्ड व्हाईट)	02
3	यूपीएस	02
4	मोबाईल टेबलेट	02
5	न्यूनतम 05 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्शन	–
6	फर्नीचर (02 टेबल, 07 कुर्सी का फर्नीचर सेट)	01
7	इलेक्ट्रानिक तौल कांटा	02
8	एनालॉग मॉईश्चर मीटर	01
9	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02 व्यक्ति
10	प्रबंधक	01 व्यक्ति
11	गुणवत्ता परीक्षण/सर्वेयर	01 व्यक्ति

कम्प्यूटर, प्रिंटर, युपीएस, मोबाईल, टैबलेट एवं फर्नीचर सेट के न्यूनतम मापदण्ड/स्पेशिफिकेशन परिशिष्ट 6 में दर्शित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सफल निविदाकार को निम्नानुसार व्यवस्थाएं/सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

भौतिक सुविधाएं :–

I. हाई–स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एवं निर्बाध विद्युत/जनरेटर सुविधा।
II. इलेक्ट्रानिक उपकरण–कम्प्यूटर, प्रिन्टर डोंगल, स्केनर, यू.पी.एस., लेपटॉप, बैटरी, आदि।
III. जन–सुविधाएं यथा दरियां, टेबल कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि।
IV. उपार्जन उपकरण यथा– Moisture Meter (केलिब्रेटेड) बडा छन्ना, पंखे, पंरखी आदि।
V. सूचना पटल, उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी– FAQ Sample एफएक्यू, गुणवत्ता का मापदंड, भुगतान एवं टोल–फ्री नम्बर का प्रदर्षन सभी उपार्जन केन्द्रों पर सूचना प्रदर्षन में एकरूपता लाने के लिए नाफेड द्वारा जिले को प्रेषित किये जाऐगे।
VI. सुरक्षात्मक सुविधाएं– तिरपाल, कवर, अग्निशमन यंत्र, रेत, बाल्टियां, First-Aid box आदि तथा।
VII. न्यूनतम 2 बडे इलेक्ट्रानिक तौल कांटे।

(4.3) मानव संसाधन :–

I. केन्द्र हेतु नियोजित प्रबंधन प्रभारी।
II. संस्था द्वारा नियोजित डाटा एन्ट्री आपरेटर जो कि CPCT अथवा डिप्लोमा/डिग्रीधारी व्यक्ति हो।
III. तौलकांटे संचालन करने हेतु आवश्यक संख्या में तुलावटी एवं हमाल
IV. वे–ब्रिज की दषा में नियोजित/नामित वे–ब्रिज प्रभारी
V. गोदाम स्थल से अन्यत्र परिसर पर केन्द्र होने पर संस्था द्वारा नियोजित गुणवत्ता परीक्षण/ सर्वेयर।
VI. अधिक उपार्जन मात्रा की संभावना वाले केन्द्रों में उपार्जन मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों, तौलकांटो, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था
VII. प्रत्येक केन्द्र पर (औसतन 100 मे.टन की) दैनिक खरीदी हेतु 2 कैलिब्रेटेड तौल कांटे एवं आवश्यक तुलावटी की व्यवस्था केन्द्र संचालन करने वाली संस्था के द्वारा की जाएगी।
VIII. समिति स्तर से स्कंध के ट्रक में लोडिंग कार्य अर्थात हेण्डलिंग कार्य हेतु मजदूरों की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की जाएगी।
IX. उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व भौतिक सुविधाएं एवं मानव संसाधन उपार्जन केन्द्र पर किये जाने की पुष्टि जिला उपार्जन समिति द्वारा की जावेगी। उपार्जन केन्द्र पर उक्त व्यवस्थाएं नही पाये जाने पर चयनित संस्था दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(4.4) मार्कफेड द्वारा चयनित संस्था को निम्न कार्य करने होगे :–

(क) शासन द्वारा जारी गाईड लाईन्स के अनुसार उपार्जन कार्य का शत्–प्रतिषत पर्यवेक्षण एवं पालन।
(ख) उपार्जन केन्द्र पर MSP,FAQ Norms उपार्जन एवं भुगतान की प्रक्रिया, बारदानों की लोडिंग एवं अनलोडिंग की प्रक्रिया को स्थानीय भाषा में प्रचार–प्रसार हेतु डिसप्ले करना।
(ग) उपार्जन केन्द्र पर स्कंध की सुरक्षा व्यवस्था, उपार्जित स्कंध को चोरी, कीट ग्रस्तता, चूहों से बचाव और मौसम की विपरित परिस्थितियां यथा बारिष आदि से उपार्जित स्कंध के बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
(घ) केन्द्र पर पीने के पानी एवं शौचालय की व्यवस्था करना।
(ड.) केन्द्र पर हार्डवेयर एवं तकनीकी कर्मचारी की व्यवस्था, किसानों को उनके खाते में ऑनलाईन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
(च) किसानों को उपार्जन केन्द्र पर कृषक तौल पर्ची जारी करना।
(छ) केलीब्रेटेड डिजिटल तौल मशीन की व्यवस्था करना।
(ज) उपार्जित स्कंध को भण्डारण स्थल तक परिवहन के पूर्व अस्थाई रूप से भण्डारण की व्यवस्था करना।
(झ) शासन द्वारा निर्धारित रिकार्ड संधारित करना।
(ञ) केन्द्र पर किसानों की उपज को छनाई एवं साफ करने की व्यवस्था सुनिष्चित करना।
(ट) उपार्जन हेतु आवश्यक बारदाना की आवश्यकता अनुसार मार्किंग/स्टेंसिलिंग सुरक्षा एवं एकाउंटबिलिटी तथा संबंधित पंजी संधारण एवं इसका अद्यतनीकरण।

निविदा के अन्य नियम एवं शर्ते :–

1. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निलंबित या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर के पास सुरक्षित होगा।
2. सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
3. मंडी/उपार्जन केन्द्र एवं क्षमता की सूची संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
4. उपार्जन केन्द्रों में कार्य होने पर ही आवश्यकतानुसार हमाली कार्य एवं अन्य व्यवस्था निविदाकार को दी जा सकेगी। किन्हीं परिस्थितिवश किसी मंडी/उपार्जन केन्द्र में भंडारण नहीं होने की स्थिति में कार्य देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार से बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा।
5. निविदाकार को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अन्तरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
6. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मध्यस्थ का निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा अथवा अनुबंध के अधीन सेवाओं में कुशलता से निष्पादित न करने अथवा उनके द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर विपणन संघ को हुई हानि अथवा विपणन संघ द्वारा उठाये गये प्रभार लागत अथवा खर्चे की दावे की कुल राशि विपणन संघ द्वारा उस राशि से काट ली जावेगी जो विपणन संघ के साथ किये गये इस अनुबंध अथवा इसके बाद किसी भी समय निविदाकर्ता को देय होगी। यदि विपणन संघ द्वारा निविदाकर्ता को दी जाने वाली पूर्वोक्त राशि कम पड़ती है तो दावा की गई और निविदाकर्ता से वसूल की जाने वाली कुल राशि की शेष राशि निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से काट ली जावेगी। यदि विपणन संघ द्वारा व्यय की गई कुल राशि के पूर्ति के लिए यह राशि अपर्याप्त रहती है तो दावा की गई पूर्वोक्त राशि का शेष भाग मांगे जाने पर निविदाकर्ता को अदा करना होगा अन्यथा विपणन संघ कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के उक्त राशि (जीएसटी सहित) वसूल कर सकेगा।
8. यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है एवं निविदाकर्ता द्वारा यदि स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए विपणन संघ स्वतंत्र रहेगा तथा उसकी अमानत राषि राजसात होने के साथ उसे विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी 03 वर्षों के लिये काली सूची में डाला जावेगा। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
9. निविदाकार के किसी भी कृत्य से होने वाली नुकसानी निविदाकार के विरूद्ध भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

10. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित समस्त लागू एवं निविदा अवधि के दौरान प्रभावी किये जा सकने वाले उपकर/कर की भुगतान की जिम्मेदारी प्रचलित/लागू दर के अनुसार निविदाकार की होगी। यदि निविदाकार देने में आनाकानी करें तो उनके बिल से कटौती कर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय जैसा भी हो, के निर्देशानुसार जमा कर दी जायेगी। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।
11. जिन निविदाकारों के पूर्व वर्षों में निविदा स्वीकृत कर अनुबंध निष्पादित किया गया था एवं उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया अथवा उनके द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया वे निविदाकार निविदा हेतु अपात्र होंगे।
12. मैं/हमारे द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक है। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये मैं/हम पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। मै/हमारे द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बीड स्वीकार होने पर हमारे द्वारा तकनीकी बीड में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।
13. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अथवा विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा। निविदाकार संशोधन/शुद्धि पत्र की जानकारी विपणन संघ/ई–प्रोक्युरमेंट छ.ग. की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है।
14. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 5)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/ भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम.....

पता :.....

.....

''परिशिष्ट 2''

भाग – ''क''

(तकनीकी बीड हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

प्रबंध संचालक/जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1.हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	**विवरण**	
1.	निविदाकर्ता का नाम– श्री/सुश्री	
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	
4.	फर्म/व्यक्ति/भागीदार का पंजीयन प्रमाण पत्र	
5.	फर्म/व्यक्ति/भागीदार व्यवसाय की आयकर स्थाई लेखा संख्या	
6.	भविष्य निधि कोड संख्या	
7.	फर्म/व्यक्ति/भागीदार का भविष्य निधि कोड़ नं. एवं विगत 03 वर्षो में से किसी भी 01 वर्ष के जमा रिटर्न की छायाप्रति।	
8.	फर्म/व्यक्ति/भागीदार का व्यवसाय संबंधित दो वित्तीय वर्षो 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की आय कर विवरणी।	
9.	भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

10.	फर्म/व्यक्ति/भागीदार को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स, न्यूनतम 05 कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं न्यूनतम 02 प्रबंधक एवं क्वाटिली निरीक्षक के सूचीबद्ध किये गये हमालों, कम्प्यूटर ऑपरेटर, प्रबंधक एवं क्वाटिली निरीक्षक के भविष्य निधि खाता नम्बर, ई.एस.आई.सी तथा ग्रुप इंशोरेंस सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
11	फर्म/व्यक्ति/भागीदार वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे।	
12	फर्म/व्यक्ति/भागीदार का विगत 03 वर्ष (वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21) में न्यूनतम 01 करोड़ रूपये का औसत वार्षिक टर्नओवर का सी.ए. द्वारा सर्टिफाइड प्रमाण पत्र।	
13	फर्म/व्यक्ति/भागीदार द्वारा शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मण्डल / प्राधिकरण द्वारा श्रमिकों एवं कर्मचारीयों नियोजन हेतु न्यूनतम 50 लाख रूपये का एकल क्रय आदेश की छायाप्रति।	
14	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	रूपये कुल डी.डी/बी.जी नं. ..... बैंक का नाम
15.	इस वित्तीय वर्ष के लिए विपणन संघ की अगर किसी अन्य निविदा में भाग लिया हो तो उसका विवरण	
16.	पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण	
17.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	
18	विगत दो वर्ष में शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के` विभाग, प्राधिकरण, निगम, बोर्ड इत्यादि के अतिरिक्त अन्य संस्थानों द्वारा कार्य से प्रतिबंधित/ कार्य को पूर्ण नही करने एवं कालीसूची में दर्ज किया गया है, अथवा नही (हॉ/नही)	

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर.....
नाम.....
फर्म का नाम.....
पूरा पता.....
हैसियत .....

मुहर .....

परिशिष्ट–3

भाग – "ख"

सरल क्रमांक.....

अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था के लिए उपार्जन एजेंसी के चयन हेतु निविदा फार्म वित्तीय बीड हेतु

द्वारा :–
मेसर्स.....
.....

दूरभाष :–कार्यालय.....
निवास.....

प्रति,

प्रबंध संचालक/जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022–23 में अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु दिनांक.....को आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यों हेतु नीचे दिये अनुसार दरें दी जा रही है :–

क्रमांक	कार्य का विवरण	इकाई	दर निविदाकार द्वारा ऑनलाईन भरने हेतु दर रूपये में
(अ)	आई.टी. अधोसंरचना (कम्युटर, प्रिंटर, यूपीएस, मोबाईल टेबलेट, इंटरनेट कनेक्षन, फर्निचर सेट, इलेक्ट्रनिक तौल कांटा मॉईश्चर मीटर, आदि) की लीज के आधार पर व्यवस्था	**लीज आधार पर दर प्रति माह प्रति उपार्जन केन्द्र**	
(ब)	योग रूपये में		

समस्त वैधानिक देयताओं यथा जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी, श्रमिक अनुज्ञप्ति, श्रमिक बीमा आदि की भुगतान की जवाबदेही निविदाकर्ता की होगी।

मेरे द्वारा उपरोक्त दरें आपकी समस्त निविदा शर्तों को मान्य करते हुए दी गई है।

संलग्न :– निविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का पूरा नाम.....
व पता (आई.डी.प्रुफ सहित).....
लेबर कान्ट्रेक्ट लायसेन्स नं.....
सील (यदि हो)

''परिषिष्ट–4''

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रू. 100/– के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला विपणन अधिकारी.....जिला.....(छ.ग.) जिसे आगे चलकर ''विपणन संघ'' कहा जावेगा ''पक्ष कमांक–1 तथा मेसर्स ....पक्ष कमांक–2'' के मध्य किया जा रहा है :–

1. यह कि, पक्ष क. 1 द्वारा खरीफ वर्ष 2022–23 (निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष तक) में अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु पक्ष क. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है।

2. यह कि, पक्ष क. 2 संविदा अवधि / /2022 से / /2023 तक अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु वचनबद्ध है, जिसे आपसी सहमति पर आगे की अवधी के लिये बढ़ाया जा सकता है।

3. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु हमालों/कर्मचारी का नाम, पिता का नाम तथा पता सहित पक्ष क. 2 को पक्ष क. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. यह कि, पक्ष क. 2 को पक्ष क. 1 द्वारा जो भी कार्य सम्पन्न करने हेतु कहा जावेगा उसे समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क. 1 द्वारा अन्य स्त्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क. 2 से वसूल की जावेगी।

5. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु स्वीकृत दर से माह में किये गये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर पक्ष क. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर परीक्षण कर पक्ष क. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।

6. यह कि, पक्ष क. 2 को समय–समय पर कार्यानुसार अरहर,उड़द एवं मूंग खरीदी व्यवस्था हेतु हमाल की अतिरिक्त व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार समयावधि में करना अनिवार्य होगा तथा उसके समस्त दायित्व की जिम्मेदारी पक्ष क. 2 की होगी।

7. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम कानूनों जिसमें बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त अन्य शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क. 2 की होगी।

8. यह कि, पक्ष क. 2 के पास भविष्यनिधि कोड तथा श्रम लाइसेंस, संविदा अधिनियम के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। समय–समय पर भविष्यनिधि कोड एवं श्रम लाइसेंस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्ष क. 2 की होगी। समस्त श्रमिकों का भविष्य निधि नियमानुसार समयावधि भविष्य निधि आयुक्त को जमा करवाना तथा आवश्यक कानूनी अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक अभिलेख संधारित करना पक्ष क. 2 की जिम्मेदारी होगी। श्रमिकों से संबंधित समस्त अभिलेख पक्ष क. 1 के मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा। पक्ष क. 2 को आगामी माह की 15 तारीख तक भविष्यनिधि राशि जमा कराकर क्लीरेंस सर्टिफिकेट भविष्यनिधि कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात ही आगामी भुगतान पक्ष क. 1 द्वारा किया जावेगा। समयावधि में नियम का पालन नहीं करने पर पक्ष क. 1 द्वारा इकरारनामा भी निरस्त किया जा सकता है तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

9. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती पक्ष क्र. 1 द्वारा प्रचलित/लागू दर से की जावेगी। पक्ष क्र. 2 को यदि जी.एस.टी. टैक्स की प्रोविजन लागू होते हैं तो जी.एस.टी टैक्स की भुगतान की जिम्मेदारी पक्ष क्र. 2 की होगी और उसे अपने द्वारा घोषित दरों में यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि इन दरों में सर्विस टैक्स भी शामिल है।
10. यह कि, निविदा के साथ दी गई अमानत राशि रूपये 10,00,000/– (रूपये दस लाख मात्र) पर कोई ब्याज देय नहीं होगी व पक्ष क्र. 2 द्वारा सम्पन्न करने पर श्रम आयुक्त एवं भविष्य निधि आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस किया जावेगा।
11. परिवहनकर्ता के वाहन से बोरे की अनलोडिंग कर स्टेकिंग तथा डीस्टेकिंग कर बोरे की लोडिंग की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल हमाल ठेकेदार की होगी। उक्त हेतु मंडी/उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त हमालों की उपलब्धता सफल निविदाकार सुनिष्चित करेगा।
12. मंडी/उपार्जन केन्द्र में अनलोडिंग एवं स्टेकिंग का काम। इस कार्य में स्टेक निर्माण हेतु एच. डी.पी.ई. बैग्स में भूसा भराई, सिलाई, स्टेक बिछाई तथा ढुलाई एवं थप्पी लगाई का कार्य अंतर्निहित है। जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
13. मंडी/उपार्जन केन्द्र में मिलर के वाहन में डी–स्टेकिंग कर बोरे की लोडिंग करना होगा।
14. यह कि, पक्ष क्र. 2 को रूपये 10,00,000/–(रूपये दस लाख मात्र) का अमानत राशि जो निविदा के साथ जमा की गई है, इसके अतिरिक्त अनुबंध के समय रूपये 10,00,000/– (रूपये दस लाख) की डिमांड डॉफ्ट/बैंक गारंटी किसी अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
15. यह कि, पक्ष क्र. 1 द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृत कार्य के अलावा समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य पक्ष क्र. 2 को सम्पन्न करना होगा, जिसकी दरें जिला विपणन अधिकारी एवं पक्ष क्र. 2 के द्वारा आपसी सहमति से तय की जावेगी।
16. यह कि, अनुबंध अवधि में पक्ष क्र. 1 के पास केन्द्र में भंडारण होने पर ही हमाली का कार्य पक्ष क्र. 2 द्वारा किया जावेगा। यदि केन्द्र में भंडारण/खरीदी नहीं किया जाता तो हमाली कार्य एवं अन्य व्यवस्था कराने की बाध्यता/मुआवजा पक्ष क्र. 1 द्वारा देय नहीं होगी।
17. यह कि मंडी/उपार्जन केन्द्र के स्टेक इस प्रकार लगाया जावे कि वह गिरे ना अर्थात् बोरे क्लॉक वाइस करके रखे जावें। यदि स्टेक लगाने के पश्चात् स्टेक भसकता अथवा गिरता है तो उक्त स्टेक को पुनः निःशुल्क लगाने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा।
18. यह कि, पक्ष क्र. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क्र. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क्र. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
19. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर होने वाली हानि के लिये पक्ष क्र. 2 जिम्मेदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य श्रोत से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क्र. 2 से वसूल की जावेगी, जो उसके द्वारा जमा राशियों या देयकों से जी.एस. टी सहित भी काटी जा सकेगी।
20. यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क्र. 2 द्वारा की जाती है तो पक्ष क्र. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क्र. 2 का अग्रेतर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।
21. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत की गई श्रमिकों की सूची अनुसार उपस्थिति शत्–प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई श्रमिक अनुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त श्रमिक दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।

22. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत श्रमिकों की सूची में कोई भी श्रमिक मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 पर की जावेगी।
23. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि सहकारिता और श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त किया गया हो। पक्ष क्र. 2 द्वारा जाने अथवा अनजाने में नियमों का उल्लंघन की जवाबदारी पूर्णतः पक्ष क्र. 2 की रहेगी और ऐसे किसी अपकृत्य के लिये पक्ष क्र. 1 जवाबदार नहीं रहेगा। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
24. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता एवं स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने तथा उसकी अमानत राषि राजसात होने के साथ विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
25. यह कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।
26. निविदा की अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् भी अनुबंधित अवधि का यदि निविदाकार से श्रम विभाग अथवा भविष्य निधि विभाग का कोई भी लेनदारी/देयता शेष रहेगी, तो उक्त राशि संबंधित विभाग में जमा करने के लिए निविदाकार बाध्य रहेगा।
27. डंप दिनांक से सात दिवस के अंदर स्टेकिंग करेगा अन्यथा सफल निविदाकार से प्रति बोरा प्रति दिन 0.10 पैसे के मान से जी.एस.टी सहित दण्ड वसूल किया जावेगा ।
28. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
29. निविदा में जारी नियम एवं शर्त इस अनुबंध का भाग माना जावेगा।
30. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/ नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 5)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्र. 1)	(पक्ष क्र. 2)
सील.....	सील.....
साक्षी :–	**साक्षी :–**
हस्ताक्षर एवं नाम व पता	हस्ताक्षर एवं नाम व पता .....

परिषिष्ट – "5"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of..

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the. (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the

BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/

CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on.....

BUYER/PRINCIPAL

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Destination
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

2) _____ **2)** _____

परिशिष्ट – 6

Technical Specifications Desktop Computers:

Component / Item	Specification
CPU	Intel Core i5-7400 Processor or higher
Chipset	Intel® H270 Chipset or higher
Memory	8GB (1x8GB) 2400MHz DDR 4 3.0 GHz or more Memory
Hard disk	Min-1TB 2.5inch Serial SATA (7,200 RPM) Hard Drive or higher
Key Board	US International (QWERTY) USB Keyboard (Black)
Mouse	Optical USB Mouse
Ports	Micro: 6 External USB: 4 x 3.0 (2 front/2 rear) 1 Internal USB 2.0; 1 RJ-45; 1 Serial; 1 Display Port 1.2; 1 HDMI 1.4; 2 PS/2; 1 UAJ, 1 Line-out;
LAN	Intel Gigabit Ethernet, PXE and WOL capable
Optical Drive	Optional
Monitor	21'' Wide Screen Monitor with LED Back Light of same brand
Operating System	Microsoft Windows 10 Pro English 64bit
Power supply Unit (PSU)	65W external adapter
Power cord	65W AC Adapter (India)
Certification	ENERGY STAR 6.0, EPEAT Registered,

Technical Specifications Printer:

Component / Item	Specification
Printing Technology	Laser
Printing Speed (for A4)	45 PPM (A4) or more
Paper Size	A4
Processor	700 MHz or above
Print Resolution	1200 X 1200 dpi or better
Printer Memory	512 MB or more
Standard Interface	10 Base T/100Base TX/1000 (Gigabit) Ethernet with IPv6 and Hi-speed USB 2.0
Paper Capacity	One tray of 500 Sheets & one by pass Tray
Operating System Support	Windows Server 2003 & 2008 Windows XP//Vista/7/8/8.1/10
Protocols	TCP/IP
Duty Cycle, Max Monthly printing	2,00,000 pages or above
Display Type	4 lines or above LCD/LED/graphic display
PDL / Emulations	PCL6, Post Script 3 / (PS3 Compatibility)
Duplex Printing	Automatic (Standard) Duplex
Mandatory Features in the driver	Booklet Printing, Combined Mode Printing – Two A5 pages in one A4 Sheet (per side) in Booklet Mode
Connectivity	Ethernet 10/100/1000T network port, Wi-fi Connectivity
Printer launched by OEM	The printer should have been launched in the year 2019/2020/2021 only.
Accessories	Necessary cables should be provided.
Supplies	All the toners have to be Original and genuine. (No Refilling or Remanufactured toners)
Others	1. Call Centre nos. and Email Address should be pasted on the printer 2. Product brochure should be available in public domain / OEM website

Technical Specifications 1KVA Online UPS with 1 Hour Battery Back Up:

Components/item	Specification
Make:	
Output Power Capacity	800 Watts / 1000 VA
Max Configurable Power	800 Watts / 1000 VA
Nominal Output Voltage	230V
Output Voltage Note Configurable	For 220: 230 or 240 nominal output voltage
Efficiency at Full Load	> 90%
Output Voltage Distortion	< 3% for linear load, < 6% for non-linear load
Output Frequency (sync to mains)	AC Mode50/60Hz +/- 3 Hz, Battery Mode 50/60 Hz ± 0.5%
Other Output Voltages	220, 240 (programmable)
Crest Factor	03:01
Output Connections	4 numbers of 5 A India socket
Overload Operation	60 seconds @ 125% and 30 seconds @ 150%
Nominal Input Voltage	230V
Battery Backup	1 hr

Technical Specifications Mobile Tablet :

NETWORK	**Technology**	GSM / HSPA / LTE
	2G bands	GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
	3G bands	HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
	4G bands	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 66
	Speed	HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A
DISPLAY	**Type**	TFT LCD
	Size	10.1 inches, 295.8 cm^2 (~80.7% screen-to-body ratio)
	Resolution	1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio (~224 ppi density)
PLATFORM	**OS**	Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0
	Chipset	Exynos 7904 (14 nm)
	CPU	Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53)
	GPU	Mali-G71 MP2
MEMORY	**Card slot**	microSDXC (dedicated slot)
	Internal	16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM
		eMMC 5.1
MAIN CAMERA	**Single**	8 MP, f/2.0, AF
	Features	Panorama
	Video	1080p@30fps
SELFIE CAMERA	**Single**	5 MP, f/2.2
	Video	1080p@30fps
SOUND	**Loudspeaker**	Yes, with stereo speakers
	3.5mm jack	Yes
COMMS	**WLAN**	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
	Bluetooth	5.0, A2DP, LE
	GPS	Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
	NFC	No
	Radio	No
	USB	USB Type-C 2.0
FEATURES	**Sensors**	Accelerometer, gyro, compass
		ANT+
BATTERY	**Type**	Li-Po 6150 mAh, non-removable